रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 9, 2006/फाल्गुन 18, 1927

No. 91] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 9, 2006/PHALGUNA 18, 1927

कम्पनी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2006

सा.का.नि. 146(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581यठ की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्पादक कम्पनी (साधारण आरक्षिति) नियम, 2003 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्पादक कम्पनी (साधारण आरक्षिति) (संशोधन) नियम, 2006 है।

(2) ये राजपत्र में, उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. उत्पादक कम्पनी (साधारण आरक्षिति) नियम, 2003 में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"4. साधारण आरक्षितियों का विनिधान.—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 581 ग के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत उत्पादक कम्पनी अपनी साधारण आरक्षितियों में से कोई एक या समुच्चय में निम्नलिखित का विनिधान करेगी, अर्थात् :—

(क) केन्द्रीय या राज्य सरकार या सहकारी सोसाइटियों या अनुसूचित बैंक द्वारा जारी की गई अनुमोदित प्रतिभूतियों, नियमकालिक निक्षेपों, यूनिटों या बंधपत्रों में; या

(ख) किसी सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक, सहकारी भूमि विकास बैंक या केन्द्रीय सहकारी बैंक में; या

(ग) किसी अन्य अनुसूचित बैंक में; या

(घ) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 की धारा 20 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में से किसी प्रतिभूति में; या

(ङ) किसी अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के शेयरों या प्रतिभूतियों में ; या

(च) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अधीन विनिर्दिष्ट लोक वित्तीय संस्थाओं के शेयरों, प्रतिभूतियों या आस्तियों में।"

[फा. सं. 7/26/2004-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम भारत के राजपत्र में सं. सा.का.नि. 641(अ) तारीख 7-8-2003 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2006

G.S.R. 146(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (1) of Section 642, read with Sub-section (1) of Section 581ZL of the Companies Act, 1956 the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Producer Companies (General Reserves) Rules, 2003, namely :

1. (i) These rules may be called the Producer Companies (General Reserves) (Amendment) Rules, 2006.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Producer Companies (General Reserves) Rules, 2003, for rule 4, the following rule shall be substituted, namely :—

"4. Investment of general reserves.—A producer company formed and registered under Section 581C of the Companies Act, 1956, shall make investments from and out of its general reserves in any one or in combination of the following, namely :—

(a) in approved securities, fixed deposits, units and bonds issued by the Central or State Governments or co-operative societies or scheduled bank; or

(b) in a co-operative bank, State co-operative bank, co-operative land development bank or Central co-operative bank; or

(c) with any other scheduled bank; or

(d) in any of the securities specified in Section 20 of the Indian Trusts Act, 1882; or

(e) in the shares or securities of any other multi-State Co-operative society or any co-operative society; or

(f) in the shares, securities or assets of a public financial institutions specified under Section 4A of the Companies Act, 1956."

[F. No. 7/26/2004-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Foot Note : The Principal rules were published in the Gazette of India *vide* No. G.S.R. 641(E), dated 7-8-2003.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.